

कार्यालय उपश्रमायुक्त
म.प्र.असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मण्डल
ई ब्लॉक पुराना सचिवालय भोपाल,
E-Mail:- uwwboard@mp.gov.in

क्रमांक/ 2180 /श्रमवि/2019/
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27/3/19

समस्त जिला कलेक्टर
मध्य प्रदेश।


विषय:- मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना, 2018 के अन्तर्गत आधार कार्ड की अनुपलब्धता के कारण अन्त्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता राशि स्वीकृति हेतु अनुमति प्रदान करने के संबंध में।

-0-

विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना, 2018 के अन्तर्गत आधार कार्ड की अनुपलब्धता के कारण अन्त्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता राशि के प्रकरण स्वीकृति एवं अनुमोदन हेतु प्रमुख सचिव, श्रम को प्रस्तुत किये जाते हैं। इस प्रक्रिया में हिताधिकारियों को मिलने वाली सहायता राशि समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती है।

अन्त्येष्टि एवं अनुग्रह सहायता के प्रकरणों जिसमें हितग्राहियों के पास आधार कार्ड नहीं है, के संबंध में संबंधित कलेक्टर अपने- अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत निर्णय लेने में सक्षम हैं। अतः बिना आधार कार्ड के प्रस्तुत प्रकरणों के त्वरित निराकरण हेतु समस्त कलेक्टर्स को अधिकृत किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों का परीक्षण कर वे अपने स्तर पर उचित निराकरण करें।

(प्रमुख सचिव, श्रम, महोदय द्वारा अनुमोदित)


(एस.एस.दीक्षित)

उपश्रमायुक्त, भोपाल

पृ. क्रमांक/ 2181-2184/श्रमवि/2019/
प्रतिलिपि :-

भोपाल, दिनांक 27/3/19

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, श्रम विभाग, भोपाल, की ओर सादर सूचनार्थ।
2. श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर की ओर सूचनार्थ।


(एस.एस.दीक्षित)

उपश्रमायुक्त, भोपाल